



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 2413 /SEIAA/22

Date: 20/12/22

AMENDMENT

To,


The Authorised Signatory, M/s Atul Polychem,
Khasra No. 58/1/k, Village: Raokhedi,
Post: Mangaliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer,
District: Indore, MP-453771

Sub:- Case No 6819/2020: Prior Environment Clearance for expansion in manufacturing of synthetic Resins at Khasra No. 58/1/k, Village: Raokhedi, Post: Mangaliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District: Indore, MP Existing capacity 2700 MT/Annum. After expansion, capacity will be increased up to 11000 MT/Annum. Total land area 11460 sq.m, by Partner, Atul Polychem Khasra No. 58/1/k, Village: Raokhedi, Post: Mangaliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District: Indore, MP-453771 Phone: 0731-2521263 Mob: 9826517711. Email atul@atulpolychem.com, atulpolyindore@gmail.com. - **Regarding EC amendment**

Ref: Your online proposal (SIA/MP/IND3/277063/2022) dtd. 16.06.22 received in SEIAA office on 17.06.2022

1. उक्त प्रकरण को पूर्व में SEIAA द्वारा खसरा नंबर 58/1/k, न्यू पलासिया, ग्राम राउखेड़ी, पोस्ट मंगलिया, ए.बी. रोड़, तहसील सॉवेर, जिला इन्दौर में Manufacturing of Synthetic Resins के विस्तार के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्र. 7636/SEIAA/21 dated 25-03-2021) जारी की गई थी
 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नंबर SIA/MP/IND3/277063/2022 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन (Prescribed form- 4) किया गया है
 3. प्रकरण को परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया गया, जिसे SEAC की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.22, 587वीं बैठक दिनांक 02.08.22, 592वीं बैठक दिनांक 06.09.22, 599वीं बैठक दिनांक 08.10.22 एवं 607वीं बैठक दिनांक 21.11.22 में चर्चा उपरांत अनुशंसित किया गया।
- SEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्र. 7636//21 दिनांक 25-03-2021) में अनुशंसित पैरा (ii) of (c) एवं पैरा (2) of A में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को SEIAA की 760वीं बैठक दिनांक 07.12.22 में कार्यवाही विवरण विन्दु क्र. 3 में निर्णित संशोधन मान्य को करते हुए एवं शेष शर्तों को यथावत रखते हुये निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ सी.ई.टी.पी में भेजे जाने हेतु अनुमति प्रदान करते हुए पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन कर संशोधित पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है।


1. उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. उद्योग से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न खतरनाक कैमिकल जैसे फिनॉल, फार्मलडीहाईड इत्यादि रसायन का अधिकतम रिकवरी प्रचलित विधियों के द्वारा किया जाये।
3. उपचार प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर जब भी आवश्यकता हो प्रचलितरासायनिक उपचार या अन्य आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाये ताकि बायोलॉजिकल ट्रीटमेन्ट से पहले उसका उपचार कर उसकी गुणवत्ता बायोलॉजिकल ट्रीटमेन्ट उपचार लायक बनाया जाये।
4. किसी भी परिस्थिति में कारखाना परिसर से CETP में भेजे जाने वाले दूषित जल में खासतौर से खतरनाक अपशिष्टों की गुणवत्ता CPCB/MPPCB के मानको के अंतर्गत हो, यह सुनिश्चित किया जाये तथा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाये एवं दूषित जल उपचार व्यवस्था में सुधार कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे सत्यापित कर ही उद्योग में उत्पादन शुरू किया जाये।
5. उद्योग से उत्पन्न दूषित जल का खासतौर से Resin बनाने वाली इकाई का जहाँ तक हो सके पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. दूषित जल के परिवहन में लगाये गए टैंकरों पर चेतावनी वाला आलेख हो की यह प्रदूषित जल है साथ ही टैंकर से किसी भी प्रकार जल फैलाव देखा जाये तो, MPPCB के नंबर पर सूचना दी जाये। सूचना हेतु नंबर भी लिखा जायें।
7. पूर्व-उपचारित बहिष्काव को इकट्ठा करने और मेनिफेस्ट सिस्टम के बाद सीईटीपी तक परिवहन के लिए मोटर वाहन अधिनियम (खतरनाक कचरे के परिवहन के संबंध में) के अनुसार विधिवत लेबल वाले समर्पित टैंकर का उपयोग करे।
8. टैंकरों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित करे।
9. उपकरणों का नियमित रखरखाव और निरीक्षण किया जाना चाहिये।
10. उच्च उपयोग के अधीन मशीनरी में होज़, फिटिंग, सील और हाइड्रोलिक लाइनों का वार्षिक प्रतिस्थापन नियमित रूप से किया जाना चाहिए।
11. रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।


 (मुजीबुर्हमान खान)
 सदस्य सचिव

2419
 Endt No. / SEIAA/ 2022 Dated 20/12/22

Copy to:-

- (1). Principal Secretary, Department of Environment., Government of MP, Mantralaya Vallabh Bhawan, Bhopal.
- (2). Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-462016.
- (3). Member Secretary, MP Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal.
- (4). The Collector, District Indore, M.P.
- (5). Managing Director, M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (Indore) Limited, Free Press House First Floor, 3/54 Press Complex, Agra-Mumbai Highway Indore (M.P).
- (6). Director, I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF, Gol, Ministry of Environment & Forest Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003
- (7). Director (S), Regional office of the MOEF, (Western Region), Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3, Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016.
- (8). Guard file.


 (आलोक नायक)
 प्रभारी अधिकारी